पूर्व मध्य रेल

परिचालन संरक्षा चेतावनी संख्या 03/2020

(OPERATING SAFETY ALERT NO.03/2020)

दिनांक 20.12..2019 को दानापुर मंडल के परसाबाजार (PRBZ) स्टेशन के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि धुरी काउण्टर (**Axle counter**) खराब था जिसके कारण गाड़ी के लोको पायलट को प्राधिकार के रूप में **Form T/369(3b)** दिया गया। परन्तु धुरी काउण्टर विफलता (**Axle counter failure**) के लिए श्री अनिल कुमार, स्टेशन प्रबंधक, कार्यरत स्टेशन मास्टर (**06.00 to 14.00 hrs.**) द्वारा **S&T deptt.** के कर्मचारी को **Signal failure memo** नहीं दिया गया। साथ ही **Failure SI-24 register (Signal & Telecommunication failure register)** में दर्ज नहीं किया गया। विफलता के दौरान **S&T deptt.** के कर्मचारी कार्यरत स्टेशन मास्टर से **Signal failure memo** लिये वगैर विफलता ठीक करने का प्रयास करते हुये पाये गये। स्टेशन मास्टर की अनुमति के बिना किसी भी रेल सेवक द्वारा मरम्मत कार्य करने से अन्य सिगनलों या कॉटों के प्रचालन की संभावना हो सकती है जो संभवतः कार्यरत स्टेशन मास्टर के संज्ञान में न हो, जिससे बड़ी दुर्घटना घट सकती है।

स्टेशन मास्टर को सहायक नियम 3.68 (2) (ii) में वर्णित नियम के अनुसार कार्य करना था जिसके अनुपालन में वे पूर्णतः विफल रहे।

पूर्व में जारी परिचालन संरक्षा चेतावनी संख्या 06/2019 (**OPERATING SAFETY ALERT NO.06/2019**) दिनांक 05.12.2019 के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि सामान्य नियम 3.51 (3) के अनुसार –"स्टेशन मास्टर की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी रेल सेवक मरम्मत करने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य से किसी भी प्वाइंट , सिगनल या उसकी फिटिंग, सिगनल के तार या किसी इंटरलॉकिंग या ब्लॉक गियर में हस्तक्षेप नहीं करेगा।"

परिचालन संरक्षा चेतावनी संख्या 06/2019 जारी होने के इतने दिनों के पश्चात भी उसमें वर्णित सामान्य नियम 3.51 (3) का अनुपालन न होना दुर्भाग्यपूर्ण है।

अतः सभी मंडलों को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित कर्मचारियों को सामान्य नियम 3.51 (3) एवं सहायक नियम 3.68 (2) (ii) में वर्णित नियमों से अवगत कराने हेतु काउंसलिंग ड्राइव चलाया जाए जिससे वे संरक्षा के प्रति जागरूक हों।

(सलिल कुमार झा)
प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।

सं0:ई.सी.आर/परि.संरक्षा/चेतावनी/73/505, दिनांक 28.01.2020

प्रतिलिपिः

(1) सचिव, महाप्रबंधक/पूमरे, हाजीपुर – महाप्रबंधक महोदय को सादर सूचनार्थ हेतु।
(2) मुख्य संरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।
(3) मंडल रेल प्रबंधक – धनबाद, दानापुर, मुगलसराय, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ।
(4) प्रधान मुख्य सिगनल एवं दुरसंचार इंजिनीयर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।
(5) वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक – धनबाद, दानापुर, मुगलसराय, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।
(6) वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी – धनबाद, दानापुर, मुगलसराय, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।